

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, एड सिणधरी)

प्रकरण सं.:-130/2018

दिनांक:-20.6.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1777

आदेश

वादी के वादपत्र एवं पटवारी एड सिणधरी व भू.अ.नि. पायलां कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम एड मानजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2072-2075 में खाता संख्या 41 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्टि पदमसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर पदमसिंह पुत्र भवानीसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:-20.6.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1778-80

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पदमसिंह पुत्र भवानीसिंह निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी